सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
(Social Security Pension Schemes)

क) राज्य योजनाएँ

1. वृद्धावस्था पैंशन योजना
(Old age Pension Scheme)

उद्देश्य
बेसहारा वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता
ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इस से अधिक हो तथा उनकी देख रेख/ पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही वयस्क बच्चे हो व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 9000/-रू0 से अधिक न हो।

अथवा

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 15000/-रू0 से अधिक न हो।

सहायता
60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के पैंशनरों को 500/-रू0 प्रतिमाह
80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पैंशनरों को 1000/-रू0 प्रतिमाह

2. विकलांगता राहत भत्ता
(Disability Relief Allowance)

उद्देश्य
अक्षम व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता
I. **(i)** ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताऐं हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी)" अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 से 69 प्रतिशत स्थायी अपंगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चे न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्त्रतों से 9000/-रू0 से अधिक न हो।

अथवा

ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी द्धारा 40 से 69 प्रतिशत प्रमणित की गई हो तथा जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 15000/- रू0 से अधिक न हो।

(ii) ऐसे अपंग अवयस्क बच्चे जिनकी विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी से 40 से 69 प्रतिशत प्रमणित की गई हो व जिनके माता-पिता/अभिभावक (यदि माता-पिता जीवित नहीं है) की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 15000/- रू0 से अधिक न हो।

क) ऐसे अपंग व्यक्ति जिनके विकलांगता चिकित्सा प्राधिकारी से 70 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमणित की गई हो तथा जो सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत न हो व अन्य किसी भी प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहे हो,को बिना किसी आयु तथा आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भत्ता के पात्र है।

ख) मानसिक रूप से अविकसित या पागल बच्चों/व्यक्तियों को अपंग राहत भत्ता उनके माता/पिता / अभिभावकों के माध्यम से दिया जाएगा।

सहायता

500/- रू0 प्रतिमाह।

3. विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन योजना
(Pension Scheme for Widow/Deserted/Single Women)

उद्देश्य

विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

- ऐसी महिला जो विधवा , परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख रेख / पालन पोषण का उच्चित साधन न हो तथा न ही व्यस्क पुत्र हो व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 9000/-रू0 से अधिक न हो।

अथवा

- ऐसी विधवा/परित्यक्त/एकल नारी जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 15000/- रू0 से अधिक न हो।

सहायता

500/-रू0 प्रतिमाह।

4. कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता
(Rehabilitation Allowance to Lepers)

उद्देश्य

कुष्ठ रोगियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

ऐसे कुष्ठ रोगी जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोर्डो इत्यादि में कार्यरत न हो तथा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपचाराधीन हों। भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है।

सहायता

500/-रू0 प्रतिमाह।

(ख) केन्द्रीय योजनाऐं

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पैंशन योजनाऐं

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना (Indira Gandhi National Old age Pension Scheme)

उद्देश्य

वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार के सदस्य हो।

सहायता

(i) 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के पैंशनरों को 500/-रू0 प्रतिमाह। (200/- रु0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 300/-रु0 राज्य हिस्सा)

(ii) 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों को 1000/-रू0 प्रतिमाह। (500/- रु0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 500/-रु0 राज्य हिस्सा)

2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)

उद्देश्य

विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

- 18 से 79 वर्ष के विकलांग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार के सदस्य हो।
- ऐसे विकलांग अव्यस्क बच्चें जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताऐं हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी)" अधिनियम 1995 की धारा 2 के अन्तर्गत अपंगता की परिभाषा के अनुसार 80 प्रतिशत या इससे अधिक गम्भीर अपंगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

सहायता

500/-रू0 प्रतिमाह। (300/- रु0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 200/-रु0 राज्य हिस्सा)

3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना
(Indira Gandhi National Widow Pension Scheme)

उद्देश्य

विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता

40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार की सदस्य हो।

सहायता

500/-रू0 प्रतिमाह। (300/- रु0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 200/-रु0 राज्य हिस्सा)